अपीलकर्ता को देय राशि का भुगतान इस आदेश के संचार की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान, जे. के समक्ष

लीलू राम,- याचिकाकर्ता

बनाम

सरदारा सिंह और अन्य, प्रतिवादी

Civil Revision No. 479 of 1991.

15 मई 1991.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- 0. 1, नियम 10 पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट, 1913- धारा 28 - प्री- एम्प्शन मुकदमों में कार्यान्वयन- संपत्ति पर कब्जे के लिए दो प्री- एम्प्शनर्स द्वारा दायर किए गए अलग- अलग मुकदमे - ऐसे प्री- एम्प्शनर्स को एक- दूसरे द्वारा उनके संबंधित मुकदमों में पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया - जहां प्री- एम्प्शनर्स एक ही मुकदमे की संपत्ति के संबंध में समान योग्यता रखते हैं, तो उन्हें मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक से अधिक प्री- एम्प्टर दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना अलग- अलग या व्यक्तिगत रूप से समान या अलग- अलग योग्यता रखते हैं, तो अदालतों को कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले मुकदमों की संख्या से निपटने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में, एक मामले में वादी दूसरे प्री- एम्प्टर द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है और इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास ऐसे वादी को दूसरे मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुकदमे और इस प्रकार लंबित मुकदमों को और मजबूत करने के साथ- साथ पार्टियों के संबंधित और अलग- अलग दावों पर निर्णय लेते हैं।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 28 केवल प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है। यह प्रदान करके कि प्रत्येक मामले में वादी को प्रत्येक अन्य मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा, सभी प्री- एम्प्टर एक- दूसरे की उपस्थिति में एक ही मुकदमे में अदालत के सामने आने में सक्षम होंगे और अदालतें भी प्रतिद्वंद्वी एम्प्टर्स के दावों पर निर्णय देने मे बेहतर स्थिति में होंगी।

(पैरा 5)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री आर. सी. गोदारा, एचसीएस, उप- न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, सोनीपत की अदालत के दिनांक 15 जनवरी, 1991 आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसके तहत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक सरदार सिंह को इस मामले में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया।

दावा: शुफ़ा द्वारा कब्जे के लिए वाद;

निचली अपीलीय अदालत के आदेश को उलटने के लिए पुनरीक्षण में दावा,

एस. सी. कपूर, अधिवक्ता।

एस. ए. बंसल, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान, जे.

(1) यह पुनरीक्षण याचिका लीलू वादी द्वारा दायर की गई है। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

(2) लीलू ने प्री- एम्प्शन के माध्यम से कब्जे के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया जिसमें उसने तारा चंद विक्रेता द्वारा राम कुमार के पक्ष में की गई बिक्री को इस दलील पर चुनौती दी कि वह सह-हिस्सेदार था। 18 नवंबर, 1989 को वादी और प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ और इसे 20 नवंबर, 1989 को अदालत में दायर किया गया, जिस पर 21 नवंबर, 1989 को विचार होना था।

(3) सरदारा सिंह ने भी उसी संपत्ति के संबंध में प्री- एम्प्शन द्वारा कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था जो श्री ललित बत्रा, उप न्यायाधीश, सोनीपत की अदालत में लंबित था। उन्होंने लिलू वादी द्वारा दायर मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया। सरदारा

सिंह की ओर से दाखिल इस अर्जी का वादी लीलू ने विरोध किया। टविचारण न्यायलय ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत सरदारा सिंह के आवेदन को स्वीकार कर लिया। वर्तमान मुकदमे में से प्रतिवादी के रूप में शामिल करना। लीलू वादी व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण मे आया है।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई बल नहीं पाया है। पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट, 1913 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 28 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"धारा 28. मुकदमों की समवर्ती सुनवाई.

जब एक ही बिक्री और फौजदारी से उत्पन्न एक से अधिक मुकदमे लंबित हों, प्रत्येक मामले में वादी, प्रत्येक अन्य मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा और मुकदमे का फैसला करते समय, अदालत प्रत्येक डिक्री में उस क्रम को बताएगी जिसमें दावेदार अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है।

(5) अधिनियम की धारा 28 का विश्लेषण करने पर, यह पता चलता है कि जब एक ही बिक्री या फौजदारी से उत्पन्न एक से अधिक मुकदमे लंबित हैं, तो प्रत्येक मामले में वादी को प्रत्येक अन्य मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा। मुकदमे का निर्णय करते समय, अदालत प्रत्येक डिक्री में उस क्रम को बताएगी जिसमें दावेदार अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है। दुर्भाग्य से, इस मामले में न तो सरदारा सिंह ने प्री- एम्प्शन के लिए दायर मुकदमे में लीलू को प्रतिवादी बनाया और न ही लीलू ने सरदारा सिंह को अपने द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी बनाया। जहां एक से अधिक प्री- एम्प्टर दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना अलग- अलग या व्यक्तिगत रूप से समान या अलग- अलग योग्यता रखते हैं, तो अदालतों को कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले कई मुकदमों से निपटने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में, एक मामले में वादी दूसरे प्री- एम्प्टर द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है और इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास ऐसे वादी को दूसरे मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुकदमे और इस प्रकार एक साथ लंबित मुकदमों को और समेकित करना और पार्टियों के संबंधित और अलग- अलग दावों पर निर्णय लेना। अधिनियम की धारा 28 केवल प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है। यह प्रदान करके कि प्रत्येक मामले में वादी को प्रत्येक अन्य मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा, सभी प्री- एम्प्टर एक- दूसरे की उपस्थिति में एक ही मुकदमे में अदालत के सामने आने में सक्षम होंगे और प्रतिद्वंद्वी प्री- एम्प्टर्स के दावों पर निर्णय देने मे अदालतें भी बेहतर स्थिति में होंगी।

(6) ऊपर जो कहा गया है उसके अलावा, सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3(बी) स्पष्टीकरण, 4(डी) के तहत भी पार्टियों के बीच किसी भी समझौते को दर्ज करने से पहले सरदारा सिंह को नोटिस देना आवश्यक था। मुझे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ भी गलत नहीं लगता और उसे बरकरार रखा जाता है।

(7) सरदारा सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि मुकदमा सरदारा द्वारा दायर किया गया जिसका 14 फरवरी, 1991 को श्री ललित बत्रा, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सोनीपत द्वारा आदेश दिया गया था और उसके मद्देनजर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निरर्थक हो गई है। मुझे पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और इसे लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा